न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 94/2016 जिला सीकर

देवी लाल पुत्र हणमान सिंह, जाति जाट, निवासी डागरा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. बजरंग लाल पुत्र भगवानाराम
2. लक्ष्मी देवी पत्नी मूलचन्द
   जाति ब्राह्मण, निवासी कटेवा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
3. ग्रम पंचायत हमीरपुरा जरिये सरपंच तहसील लक्ष्मणगढ ।
4. हल्का पटवारी हमीरपुरा, तहसील लक्ष्मणगढ ।
5. उप पंजीयक लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 3.7.2015

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री राजाराम चौधरी

निर्णय

दिनांक– 2.1.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 3.7.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि जमाबन्दी संवत 2060–2063 ग्रम कटेवा तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 2.6900 बारानी 2 की खातेदार श्याना पुत्री रामकुवार कौम ब्राह्मण थी । श्याना पुत्री रामकुवार की विरासत का नामांतरकरण संख्या 908 दिनांक 30.9.2010 श्याना की बजाय राजेन्द्र कुमार,रामपाल, रामगोपाल पुत्रगण श्याना देवी के नाम स्वीकार हुआ । इसके पश्चात् नामांतरकरण संख्या 915 दिनांक 8.11.2010 बेचान का नरबदी देवी धर्म पत्नी कालूराम व लक्ष्मी देवी धर्म पत्नी मूलचन्द ब्रह्मण के नाम स्वीकार हुआ । इसके पश्चात् नामांतरकरण संख्या 955 दिनांक 7.6.2011 विनिमय द्वारा नरबदी देवी धर्म पत्नी कालूराम रकबा 1.85 एवं लक्ष्मी देवी धर्म पत्नी मूलचन्द रकबा 0.84 का स्वीकार हुआ । इसके पश्चात् खातेदार रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लक्ष्मीदेवी पत्नी मूलचन्द ब्राह्मण द्वारा रकबा 0.84 हैक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनाक 29.5.2014 से अपीलान्ट देवी लाल पुत्र हणमान सिंह जाति जाट को किये जाने पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 1091 दिनांक 5.6.2014 को ग्रम पंचायत हमीरपुरा द्वारा विक्रेता रेस्पोंडेन्ट लक्ष्मीदेवी के स्थान पर क्रेता अपीलान्ट देवी लाल के नाम स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर रेस्पोंडेन्ट बजरंग लाल पुत्र भगवानाराम जाति ब्राह्मण द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.7.2015 द्वारा आदेशिका दिनांक 31.1.2014 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के अनुसार खसरा नम्बर 32 ग्रम कटेवा के संबंध में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रखने का स्थगत आदेश प्रभावी होने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा रेकार्ड में परिवर्तन बाबत आदेश देना विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य माना जाकर रेस्पोंडेन्ट बजरंग लाल की अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 1091 दिनांक 5.6.2014 निरस्त किया गया । उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के उक्त निर्णय दिनांक 3.7.2015 के खिलाफ विवादित भूमि के क्रेता देवी लाल पुत्र हणमान सिंह जाति जाट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त कर नामांतरकरण कायम रखे जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि की रेकार्डेड खातेदार रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लक्ष्मीदेवी थी जिसके द्वारा विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट देवी लाल को विक्रय की थी और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण विवादित भूमि के विधिवत क्रेता अपीलान्ट देवी लाल के नाम स्वीकार कर दिया । उनका कहना था कि विवादित भूमि में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 बजरंग लाल का कोई अधिकार नहीं है न ही विवादित भूमि पर कभी कोई कब्जा रहा न ही कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं । रेस्पोंडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की इजाजत हेतु भी कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया । विवादित भूमि के विक्रय हेतु किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं था । ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण होना स्वभाविक प्रक्रिया है । रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक करने के अलावा ग्राम पंचायत के पास अन्य कोई विकल्प नहीं रहता क्योंकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को वैध एवं अवैध करार देने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश लोक अदालत में पारित किया है जबकि लोक अदालत में उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिनमें दोनों पक्ष सहमत हो । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण, विधि विरूद्ध एवं न्याय शास्त्र के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रश्नगत नामांतरकरण कायम रखा जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पोंडेन्ट बजरंग लाल के पूर्वज कन्हीराम की थी । कन्हीराम के दो पुत्र क्रमशः मोहन राम व रामकुमार थे जिनका देहान्त हो चुका था । मोहन राम के पुत्र भगवानाराम तथा रामकुमार थे ओर एक मात्र पुत्री श्याना थी जिसका भी देहान्त हो चुका है । विवादित भूमि खसरा नम्बर 32 रकबा 2.69 हैक्टेयर भूमि राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूलवश रामकुमार अकेले के नाम गलत रूप से दर्ज हो गयी जिसमें रेस्पोंडेन्ट का भी हक व अधिकार है । रेस्पोंडेन्ट ने एक दावा उप खण्ड अधिकारी के समक्ष 29/2012 उनवानी बजरंग लाल बनाम राजेन्द्र कुमार आदि पेश किया था जिसमें उप खण्ड अधिकारी ने स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 28.1.2014 को निरस्त कर दिया था जिसके खिलाफ अपील राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिसमें राजस्व अपील अधिकारी ने रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश दिनांक 31.1.2014 को पारित किया था जो दिनांक 21.5.2014 की आदेशिका में दिनांक 2.7.14 तक बढाया गया था । उनका कहना था कि स्थगन के बावजूद दिनांक 29.5.2014 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लक्ष्मीदेवी देवी द्वारा विवादित भूमि का

विक्रय अपीलान्ट देवी लाल को किया है, जो शून्य व निष्प्रभावी था तथा ऐसे शून्य व निष्प्रभावी विक्रय पत्र के आधार पर स्थगन के प्रभावी रहने के बावजूद ग्रम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1091 दिनांक 5.6.2014 को तस्दीक किया गया है ,जो भी अवैध व शून्य है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.7.2015 द्वारा ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1091 दिनांक 5.6.14 को न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने से विधि सम्मत नहीं होना मानते हुये रेस्पोंडेन्ट बजरंग लाल की अपील स्वीकार कर नामांतरकरण निरस्त किया गया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट बजरंग लाल ने विक्रय पत्र दिनांक 29.5.2014 को निरस्त कराने बाबत एक दावा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश लक्ष्मणगढ जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है । अतः अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुये अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1091 दिनांक 5.6.2014 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विवादित भूमि के क्रेता अपीलान्ट देवी लाल के नाम ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया था । विवादित भूमि के संबंध में रेस्पोंडेन्ट बजरंग लाल बनाम राजेन्द्र कुमार उनवानी अपील में राजस्व अपील अधिकारी सीकर ने रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश दिनांक 31.1.2014 को पारित किया था जो दिनांक 21.5.2014 की आदेशिका में दिनांक 2.7.14 तक बढाया गया था ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रश्नगत नामांतरकरण स्थगत आदेश के दौरान तस्दीक होने से उसे विधिसम्यक नहीं ठहराया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ने भी ग्रम पंचायत के निर्णय के दिन न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने से नामांतकरण को विधिसम्त नहीं होना मानते हुये अपीलाधीन आदेश से रेस्पोंडेन्ट बजरंग लाल की अपील स्वीकार करते हुये नामांतरकरण संख्या 1091 दिनांक 5.6.2014 निरस्त किया गया है , जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर